बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि ३ अक्तूबर १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना के पदाधिकारी की नियुक्ति।

†१४५। श्री कुलदीप नारायण यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी सबडिवीजन के सुरसंड थाने में राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना लागू की गई है, यदि हां, तो वहां के लिये असालतन ब्लौक डेवेलपमेंट पदाधिकारी की नियुक्ति अबतक हुई है;

(२) यदि हुई है, तो वे कौन हैं और वे अबतक उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि सरकार का स्टाफ आज ६ मास से वहां बैठा हुआ है;

(४) उक्त ब्लौक में कितनी रकम की स्वीकृति हुई है तथा कबतक सरकार उसमें हाथ लगावेगी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) पहले भाग का उत्तर हां है।

सुरसंड थाने में एन० इ० एस० ब्लौक में कोई असालतन ब्लौक डेवलपमेंट आफिसर तैनात नहीं हुए हैं मगर श्री राम औतार चौधरी, सब-डिप्टी कलक्टर सीतामढ़ी उस एन० इ० एस० ब्लौक के चार्ज में हैं और अपने काम के साथ इस काम को भी करते हैं।

(२) यह सवाल नहीं उठता है।

(३) इसका उत्तर नकारात्मक है। एन० इ० एस० ब्लौक में जो काम होता है उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जून, १९५२ तक की रिपोर्ट पुस्तकालय के टेबुल पर रख दी गयी है।

(४) इस ब्लौक में दो लाख दो हजार छः सौ पैंसठ रुपया खर्च के लिए मौजूदा साल में दिया गया है और इसके अनुसार काम आरम्भ कर दिया गया है।

---

†सदस्य की अनुपस्थिति में श्री दारोगा प्रसाद राय के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

कार्यक्रम की घोषणा।

STATEMENT OF BUSINESS.

अध्यक्ष—बहुत से सदस्य जा रहे हैं और जाना भी चाहते हैं इसलिए मैं एक जरूरी घोषणा करता हूं। ६ तारीख को बिजिनेस रखा गया है फ्लड और ड्राट पर विचार-विमर्श करने के लिये। ६ को फ्लड और ड्राट में नहीं रखना चाहता हूं। उस दिन ऑफिसियल बिजिनेस रखा जायगा और फ्लड और ड्राट के लिए दूसरा दिन रखा जायगा। एक दिन या दो दिन, इस पर मैंने अभी विचार नहीं किया है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—कब ?

अध्यक्ष—भविष्य के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि भविष्य कभी-कभी अंधकारपूर्ण होता है। आपलोग जरा देख लें कि सभा की गाड़ी किस तरह चलती है, १४ तक रुकती है या नहीं। अगर तेजी से चलती है तो १४ तक सब काम समाप्त कर सकेंगे। जब गाड़ी धीमी चलेगी तो कुछ दिन बढ़ सकता है।

विधान कार्य: सरकारी विधेयक।

Legislative Bus iness: Official Bill.

बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० ३०)।

THE BIHAR PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF ANIMALS BILL, 1953 (BILL NO. 30 OF 1953).

Shri GUPTANATH SINGH: Sir, I beg to move:

That in sub-clause (3) of clause 10 of the Bill for the words "cattle pound" the words "Goshala, Gosadan or Pinjarapole" be substituted.

अध्यक्ष—गोशाला, गोसदन और पिंजरापोल का क्या मतलब होगा? इस बिल में है या नहीं? सरकार के मातहत का भी हो सकता है और बाहर का भी।

श्री गुप्तनाथ सिंह—सरकार ने एक सूची बना रखी है। मैं देहात का रहनेवाला हूं और मुझे अनुभव है कि कैटल पाउन्ड भी एक प्रकार का कसाईखाना ही होता है। वहां के ठीकेदार इतने निर्मम होते हैं कि वे मवेशियों को समय पर न पानी देते हैं और न गवत।

अध्यक्ष—यह किसके जिम्मे है ?

श्री गुप्तनाथ सिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये इसका इन्तजाम होता है।

अध्यक्ष—आप कैट्ल पाउन्ड को हटाना चाहते हैं?

श्री गुप्तनाथ सिंह—हम बदले में गोसदन में पशुओं को भेजना चाहते हैं। कभी-कभी गायों के मालिक नहीं आवें तो......

अध्यक्ष—आप कैट्ल पाउन्ड के बदले में चाहते हैं?

श्री गुप्तनाथ सिंह—सरकार इतने दिनों तक चिकित्सा कराकर मवेशियों को अच्छा करेगी तो सारी चिकित्सा पर पानी फिर जायगा, यदि मवेशियों को कैट्ल पाउन्ड में भेज दिया जायगा। सरकार उसके लिये अलग इन्तजाम करे। गोशालाओं में भेजे। कैटल पाउन्ड को हटा देना चाहिये क्योंकि इसमें जानवरों के ऊपर प्रहार होगा।

श्री दीप नारायण सिंह—महोदय, श्री गुप्तनाथ सिंह की बातों को मैं बहुत गौर से सुन रहा था। क्लाज ३ में लिखा हुआ है कि और डील विथ इट इन सच मैनर एज में बी प्रेसक्राइब्ड। जिस समय लिखा गया था उस समय ध्यान में गोशाला, गोसदन भी था लेकिन अभी हमारे राज्य में गोसदन काफी नहीं हैं और गोशालायें जितनी हैं उनमें भी सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वे सीधे सरकार के मातहत रहकर काम करें। गोशाला बनाने में सरकार को कुछ समय लगेगा। जबतक हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं आते हैं तबतक काफी गोसदन नहीं खुलेंगे और इस बिल को तुरत लागू करना है। इसलिए सरकार जहां कहीं भी कैट्ल पाउन्ड हैं उनका इस्तेमाल करना चाहती है।

अध्यक्ष—आप भी इसको क्यों नहीं मान लेते हैं?

श्री दीप नारायण सिंह—अभी पिंजरापोल, गोशाला को नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और अगर इसको रख दिया जाय तो गोशाला चलाने वाले लोग नहीं मानेंगे और सरकार को कठिनाई होगी। सरकार इस पर विचार कर रही है कि गोशाला और पिंजरापोल पर सरकार का थोड़ा-सा नियंत्रण रहे जिससे पशु-पालन के काम में लाभ हो। जब वैसा हो जायगा तब यह जाहिर है कि जानवरों की दवा कराने के बाद इनको कैट्ल पाउन्ड में नहीं भेजा जायगा जहां उनकी दशा खराब हो जाती है। जबतक सरकार दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेती है तबतक के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचकर कानून में ऐसी बात रखी गयी है। इसलिए मैं समझता हूं कि गुप्तनाथजी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और सरकार उनके विचारों को ध्यान में रखेगी।

श्री गुप्तनाथ सिंह—जो उत्तर मिला उससे मेरी शंका का समाधान नहीं हो सका है। मंत्री महोदय कैट्ल पाउन्ड को क्यों रखना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। उन्होंने कोई समुचित और तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया।

कैट्ल पाउंड एक क़िस्म का स्लौटर हाउस (बधगृह) है जहां स्लो पोइआएजनिंग (विष) देकर जानवरों को मार दिया जाता है। जो कसाई प्रकृति के लोग हैं वे ही कैट्ल पाउंड को चलाते हैं और यद्यपि उसके नियम बने हुए हैं कि काफी मात्रा में जानवरों को चारा दिया जाय परन्तु चारा तो दूर रहा अच्छी तरह पानी तक नहीं पिलाते हैं। हमलोगों को निजी अनुभव है कि जब कभी गाय या बैल कैट्ल पाउंड में रख दिये जाते हैं तो वहां से लाने के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें महामारी हुई हो। सरकार का कहना है कि पिंजरापोल तथा गोशालाओं पर उनका अपना अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि यदि कोई बच्चा या स्त्री का अपहरण हो जाता है तो स्थानीय अधिकारी उसे किसी अनाथालय अथवा विधवाश्रम की देख-रेख में रख देते हैं। इस तरह की जनसेवक संस्थायें हैं जिन पर सरकार का अधिकार न होते हुए भी वे उनसे काम लेते हैं। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो किसी गोशाला या पिंजरापोल को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पशुओं से प्रेम हो उनके पास ऐसे जानवरों को रख सकते हैं परन्तु कैट्ल पाउंड में रख देने का मतलब तो यही है कि आप उनका स्लौटर करवाना चाहते हैं। आपके पास अपना फार्म है और यदि आप चाहें तो वहां ऐसे जानवरों को रख सकते हैं। जब आप जानते हैं कि कैट्ल पाउंड में किस बेरहमी के साथ जानवरों के साथ वे पेश आते हैं तो ऐसी हालत में सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वे इन जानवरों को कैट्ल पाउंड में रखें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बातों को मान लेंगे।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के विचारों को गंभीरतापूर्वक सुना और मैं उनके सुझावों पर विचार करने का वादा भी करता हूं। लेकिन इस वादा के बाद, फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। लेकिन मेरी एक दिक्कत हो जायगी जब कि इस कानून को चलाना चाहेंगे तो गोसदन, गोशाला और पिंजरापोल के अभाव में जानवरों को मैं दूसरी जगह नहीं रख सकता हूं। मुझे पाउंड चलाने का अनुभव है। पाउंड कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। थोड़ा-बहुत काम पाउंड से चलता है। इसलिए यदि आपके संशोधन को मान लेते हैं तो मेरा काम रुक जाता है। जबतक हम गोशालाओं और पिंजरापोलों को राजी नहीं कर लेते हैं तबतक इस संशोधन को मान लेने से हमको दिक्कत होगी। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मंशा पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब इसके लिए नियम बनेगा तो इस पर पूरा विचार किया जायगा। इसलिए माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन को तो वापस ले लूंगा लेकिन मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो पशु पाउंड में जाये और उसको यदि कोई नहीं छुड़ावे तो उनका क्या होगा? उनकी क्या व्यवस्था होगी?

अध्यक्ष—आपके कहने का क्या मतलब है, जो बिल का उद्देश्य है उसका स्लौटर (वध) हो जायगा?

श्री गुप्तनाथ सिंह—मैं कहता हूं कि जो जानवर पाउंड में जायगा वह पानी बिना, भूसा बिना मर जायगा। इसलिए यदि उनको छोड़ दिया जायगा तो कम-से-कम वे

खुली हवा में घूम सकते हैं और इधर-उधर चर के और तालाब में पानी पीकर जी सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री को कहना चाहता हूं कि पाउंड को अपने अधिकार में ले लें तो मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री गुप्तनाथ सिंह—जी हां।

सभा की इजाजत से संशोधन उठा लिया गया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड १० प्रवर समिति द्वारा यथा दुवारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड ११, १२ और १३ प्रवर समिति द्वारा यथा दवारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११, १२ और १३ पुन: इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—खंड १४।

Shri LAKSHMI NARAIN SINGH: Sir, I beg to move:

That in clause 14 of the Bill—

(*i*) *For* the words "he knows or has reason to relieve," the words "is declared by the Veterinary Surgeon after proper enquiry" be *substituted.*"

यह बिल कैटल इम्प्रुवमेंट के लिए है। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि हमारे यहां चार-पांच थाने के अन्दर एक ही भेटेरिनरी डिस्पेन्सरी है और उसमें कुछ अढ़ाई-तीन सौ मवेशियों को दवा दी जाती है, जिससे वहां के जानवरों की समुचित चिकित्सा नहीं हो पाती है। वहां ४-६ लाख की आबादी में एक डिस्पेन्सरी है और २५० या ३०० रुपया की दवा दी जाती है। वहां पशुओं के साथ कितना अन्याय होता है अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस नये कानून के अनुसार आपके भेटेरिनरी सर्जन को अधिकार है कि मेला नहीं लगाने दें जहां बीमारी फैली हुई है और यदि लगाया गया तो जुर्माना होगा। नियमानुकूल अमुक तरह की पशुओं की बीमारी हो गयी है आप इसको सेग्रीगेट करावें, अगर नहीं करावेंगे तो मैं खुद करूंगा और खर्च भी वसूल करूंगा।

अध्यक्ष—अगर वह बीमार होगा और उसको बेचेगा तो उस पर जुर्माना होगा।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—किसान नहीं जानता है कि हमारे कैटल को यह बीमारी हुई है और बेचने पर जुर्माना हो जायगा।

अध्यक्ष—इस सेक्शन में है कि जो किसान जानता है कि यह बीमारी है और वह संक्रामक है, और फिर उसको बेचेगा तो जुर्माना होगा। लेकिन बेचारा किसान क्या जानता है कि हमारे जानवर को यह बीमारी है।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—जी, इसमें लिखा हुआ है कि जान-बूझ कर ऐसा करता है तो जुर्माना होगा। लेकिन सार्जन कह सकता है कि तुमने बदमाशी किया है, अढ़ाई सौ रुपया जुर्माना दो। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकारी डा० जांचकर जबतक डिक्लेयर नहीं कर दे कि तुम्हारे जानवर को यह बीमारी है तबतक जुर्माना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करने से किसानों को परेशानी होगी। इसलिए माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे हमारे संशोधन को मान लेंगे।

श्री दीपनारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, किसानों को जानवरों की बीमारी की जानकारी रहती है। मैं स्वयं किसान नहीं हूं परन्तु किसानों के परिवार में रहने का मौका मिला है। और मैं जानता हूं कि किसान अपने जानवरों की बीमारी को भली-भांति जानते हैं और उसे इस तरह छिपाते हैं कि बेचने के दो-तीन महीनों के बाद बीमारी का पता चलता है। यदि माननीय सदस्य के संशोधन को मैं मान लूं तो इसका नतीजा यह होगा कि मेला इत्यादि में जितने जानवर जायेंगे सबों के लिए सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ जायगी और इस तरह जिस चीज से माननीय सदस्य डरते हैं वह बड़े पैमाने पर किसानों के सामने खड़ी हो जायगी।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

Shri LAKSHMI NARAIN SINGH: Sir, I beg to move :

(३३) *For* the word "fifty" the word "twenty" and the words "two hundred", the word "fifty" be *substituted.*

अध्यक्ष महोदय, ५० रुपया और २५० रुपया का जो जुरमाना रखा गया है उससे गरीब किसानों को बड़ा दुख होगा और इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले कसूर के लिये २० रु० और दूसरे कसूर के लिए ५० रु० रखा जाय।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—मैं समझता हूं कि पहले कसूर के लिये जो ५० रुपये का प्रोविजन है उसको छोड़ दिया जाय और दूसरे कसूर के लिये जो २५० रुपये का जुरमाना है उसको घटा कर १०० रुपया कर दिया जाय।

श्री दीपनारायण सिंह—श्री हरिवंश नारायण सिंह के संशोधन को मैं मान लेने को तैयार हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—यदि माननीय मंत्री हरिवंश बाबू के संशोधन को मान लेते हैं तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

Shri HARIVANSH NARAIN SINGH: Sir, I beg to move:

That in clause 14 of the Bill *for* the words "two hundred and fifty" the words "one hundred" be *substituted*.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड १४ में शब्द "टू हन्ड्रेड एँड फीफ्टी" के बदले शब्द "वन हन्ड्रेड" रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड १४ सभा द्वारा यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ यथा-संशोधित इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड १५ और १६ प्रवर समिति द्वारा यथा दुबारा प्रतिवेदित इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १५ और १६ इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—खंड १७ अब सभा के सामने है।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—मैं इस क्लाज का विरोध करता हूं। इसकी ड्राफ्टिंग में क्लाज १९ जो आ गया है उसको पहले आना चाहिये था, लेकिन उसके पहले क्लाज १७ आ गया है। क्लाज १९ में है:

"Notwithstanding anything contained in this Chapter or in section 3, if the Veterinary Officer after due examination of any animal certifies in writing that such animal is affected with any of such contagious diseases as may be prescribed in this behalf, he may destroy the animal or deal with it in such other manner as may be prescribed."

इसके जरिये कोई जानवर जिसको भेटेरिनरी सर्जन कह दे कि उसको बीमारी हो गई है मार दिया जायगा चाहे वह कैसा भी पुष्ट हो या वह रोग से मुक्त हो। जैसा मैंने पहले भी कहा गुड फेथ की बात बिल के सेक्शन १७ में तो इसके जरिये

भेटेरिनरी सर्जन को एक ऐसा लाइसेंस दिया जा रहा है कि इस कानून के मुताबिक वह किसी जानवर को किसी के कहने से बीमारी की बात कहकर मार दे सकता है या मरवा दे सकता है।

अध्यक्ष—गुड फेथ की बात तो सभी कानून में है। यहां तक कि पब्लिक सेफ्टी आर्डर में भी है और इसके नहीं रहने से कोई कानून नहीं बन सकता और सरकार कोई काम नहीं कर सकती।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—मेरी समझ में इससे भेटेरिनरी सर्जन को एक बहुत बड़ा लाइसेंस मिल जायगा और सरकार को चाहिये कि इसको उठा ले।

श्री गुप्तनाथ सिंह—इस क्लॉज में एनीमल (पशु) शब्द का व्यवहार नहीं किया गया है और इसमें एनीथिंग किसी भी वस्तु का व्यवहार किया गया है जिसका मतलब है कि निरीक्षक घर में जायगा जांच-पड़ताल करने के लिये। इसलिए लक्ष्मी बाबू के विरोध का मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—यानी माननीय मंत्री का आप समर्थन करते हैं ?

श्री गुप्तनाथ सिंह—जी हां।

श्री दीप नारायण सिंह—श्री गुप्तनाथ सिंह के कहने के बाद अब मुझको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह गई।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड १७ प्रवर समिति द्वारा यथा दुबारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १७ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड १८ प्रवर समिति द्वारा यथा द्वारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १८ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड १९ :

श्री गुप्तनाथ सिंह—मैं इस क्लॉज का विरोध करता हूं। क्लॉज १९ है :

"Notwithstanding anything contained in this Chapter or in section 3, if the Veterinary Officer after due examination of any

animal certifices in writing that such animal is affected with any of such contagious diseases as may be prescribed in this behalf he may destroy the animal or deal with it in such other manner as may be prescribed."

यह एक विलक्षण बात है और पता नहीं क्यों हमारे मंत्री महोदय एक दयावान व्यक्ति होते हुए भी पशुओं के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि रुग्ण पशु की दवा और रक्षा करने के बजाय उनके विनाश और डिस्ट्रक्शन की बात सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। अगर विनाश (डिस्ट्रक्शन) का अधिकार डाक्टरों के हाथ में दे दिया जायगा तो उनकी रक्षा की व्यवस्था वे बहुत ही कम करेंगे। एक वेटेरेनरी डाक्टर जब यह समझेगा कि कोई पशु संक्रामक रोग से पीड़ित है तब वह उसको विलग करने और दवा-दारू करने के बजाय विनष्ट (डिस्ट्राय) कर देगा। सरकार को उसकी रक्षा का उपाय सोचना चाहिये था। बिहार राज्य में डा० राइट की रिपोर्ट के अनुसार १ लाख ४२ हजार पशु पर एक वेटेरिनरी डाक्टर पड़ता है और अब वह उनकी रक्षा करने के बजाय तलवार हाथ में लेकर घूमेगा कि कौन पशु संक्रामक रोग से पीड़ित है कि उसका सफाया कर दें। हमारे ख्याल से इस तरह का उपबंध इस बिल में नहीं रहना चाहिये कि रोगी की दवा करने के बजाय उसको खत्म ही कर दिया जाय। डाक्टर का काम चंगा करने का होना चाहिये न कि उसको गंगा में भेजने का। रोगी पशु के लिये तो एक संक्रामक रोगी केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिये, न कि डाक्टर को इसको खत्म करने की व्यवस्था होनी चाहिये। अभी हाल ही में सरकारी कर्मचारी कंट्रोल के जमाने में किस तरह से काम करते थे। उसका खूब तजरबा है और इसलिये रोगी पशु को खत्म करने का अधिकार सरकारी डाक्टरों के हाथ में नहीं देना चाहिये कि वह घूस लेकर छोड़े उनको डिस्ट्राय ही कर दे। आदमियों में भी बहुत से आदमी संक्रामक रोग से पीड़ित हैं लेकिन कोई भी आदमी उनको मारने या डिस्ट्राय करने की बात को नहीं सोंचता है और न ऐसा हो ही सकता है। तब फिर हमारे मंत्रीजी दयालु होते हुए भी इस तरह की उपबंध इस बिल में कैसे रख रहे हैं कि दवा-दारू करने के बजाय उसको विनष्ट ही कर दिया जाय। यह तो हमलोगों के लिये भी एक बड़े अफसोस की बात होगी कि रोगी पशु की दवा-दारू के बदले उसको विनष्ट (डिस्ट्रायो) ही करने के लिये और मारने के लिये हमलोग कानून बनावें। इसलिये मैं इस धारा का विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि इस धारा को इस बिल से हटा दिया जाय।

(इस समय श्री चुनका हेम्ब्रोम ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री सुकरा उरांव—सभापति जी, मुझे भी इस १९ धारा को देखने से तकलीफ हुई है। अगर इस धारा को इस बिल में रहने दिया जायगा तो इसका नतीजा ठीक उलटा ही होगा। इसी बिल की एक दूसरी धारा में इसका प्रोविजन किया गया है अगर कोई पशु किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो उसको दूसरे पशुओं से अलग किया जाय। ऐसा इसलिये किया गया है जिसमें दूसरे पशु भी उस संक्रामक रोग से ग्रसित न हो जायं। लेकिन अगर उस संक्रामक रोग से पीड़ित पशु के मारने का प्रोविजन किया जायगा तब तो इस प्रोविजन के रखने का कुछ भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को तो मार ही दिया जायगा। डाक्टर अपनी परेशानी को कम करने के ख्याल से संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को इलाज करना छोड़ मार ही देंगे और इस तरह से उसकी चिकित्सा का भार उसके कंधे से दूर हो जायगा। हमारा ख्याल

है कि इस धारा को रखने से पशुधन की नुकसानी होगी और पशुचिकित्सकों में भी लापरवाही आ जायगी। इसलिये इस धारा को हटाने के लिये हमारे गुप्तनाथ सिंह ने जो सलाह दी है उससे मैं सहमत हूँ और माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि वे इस धारा को उठा लें तो अच्छा होता।

श्री सरयू प्रसाद—सभापति जी, अभी हमारे सामने जो सुझाव एक माननीय सदस्य ने रखा है उस पर विचार-विनिमय करना बहुत जरूरी है। यह ठीक है कि जो पशु संक्रामक रोग से पीड़ित हों उनको विलग रखने का इंतजाम होना चाहिये लेकिन उस हालत में मारने से कोई ज्यादा भलाई पशुधन की नहीं होगी। संक्रामक रोग ग्रसित पशु को मारने का एक ही कारण है कि जिसमें दूसरे पशु भी उस बीमारी के चंगुल में न फंस जायँ लेकिन विलग करने से भी यह काम हो सकता है। हमारे माननीय सदस्य का जो सुझाव इसके संबंध में है उसको मद्दे नजर रखते हुए संशोधन के रूप में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

(इस समय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

इसमें है कि :

"Notwithstanding anything contained in this Chapter or in section 3, if the Veterinary Officer after due examination of any animals certifies in writing that such animal is affected with any of such contagious diseases as may be prescribed in this behalf, he may destroy the animal or deal with it in such other manner as may be prescribed."

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। वह यह है कि सदन में इस वक्त कोरम नहीं है और बहस चल रही है।

अध्यक्ष—कोरम तो पूरा है।

श्री रामानन्द तिवारी—अभी दो सदस्य आ गए हैं तब पूरा हुआ है।

Shri SARAYU PRASAD : If the Veterinary Officer after due examination of any animal certifices in writing that such animal is affected with any of such contagious diseases as may be prescribed in this behalf, he may destroy the animal or deal with it in such other manner as may be prescribed."

इसमें हम चाहते हैं कि "डिस्ट्रॉय दी एनिमल्स और" को हटा दिया जाय। मेरा कहना है कि अगर जानवरों में संक्रामक रोग फैल जाय तो उस रोग से दूसरे जानवरों को बचाने के लिये सरकार के लिये कोई रास्ता बनाना चाहिये जिससे ऐसे जानवरों को सेग्रीगेट किया जा सके।

श्री केशव प्रसाद—मेरा प्वायंट ऑफ इनफोरमेशन है कि "डील विथ" में डिस्ट्राय इनक्लूड करता है या नहीं ?

श्री सरयू प्रसाद—नहीं करता हूँ।

मेरा ख्याल है कि :

"Notwithstanding anything contained in this Chapter or in Section 3"

अगर डीलीट कर दिया जाय तो उसकी जरूरत नहीं होगी।

अध्यक्ष—तब इसका मतलब यह होता है कि आप "distroy the animal or" को हटा देना चाहते हैं।

श्री सरयू प्रसाद—जी हां, इतना ही मेरा कहना है।

श्री सैयद महम्मद अकील—जनाब सदर, मैं क्लाज १० को रखना चाहता हूँ।
इसको हटाने के सिलसिले में जो बातें हमारे दोस्तों ने कही हैं उसके सिलसिले
में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर ने गौर किया होगा, जब यह बिल शुरू
में आया था उस वक्त इस बिल में एक दफा मौजूद था जो मेरे दोस्त के संशोधन
से मिलता-जुलता था उसको सेलेक्ट कमिटी ने हटा दिया और एक नया दफा जोड़ दिया।
श्री सरयू प्रसाद के अमेंडमेंट के संबंध में भी इशारा किया गया है और श्री जगलाल
चौधरी के संशोधन के बारे में भी काफी कहा गया है। जिन बातों को बतला दिया
गया है उनको अब मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। हमारे दोस्त श्री गुप्तनाथ सिंह ने
जो कुछ कहा है उससे पता चलता है कि किसी भी हालत में किसी जानवर को मारना
नहीं चाहिये और न डिस्ट्राय करना चाहिये। यही उनका सेन्टीमेंट है। मुमकिन है
कि उनकी सेंटीमेंट सही हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तान
में लोग अपनी जबान के मजे के लिये और खाने के लिये रोजमर्रे जानवरों को मारते हैं।
हम अच्छी तरह जानते हैं कि खसी-बकरी इस किस्म के जानवर रोज बाजारों
में बिकते हैं, आप उनको डिस्ट्राय करते हैं तथा खाते हैं। इसके लिये यह नहीं कहा
जा सकता है कि जानवरों को डिस्ट्राय कर देना बिल्कुल नई और नाजायज बात है,
यह एक बेदर्दी है और इंसानियत के खिलाफ है। अगर ऐसी फिजा हिन्दुस्तान की
होती कि कोई जानवर को न मारता हो, न डिस्ट्राय करता हो तो यह बिल्कुल दुरुस्त
होता। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा होता है। उसके बाद आप देखिये कि इस
दफे की स्पीरिट क्या है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जैसा क्लॉज १९ में कहा
जा चुका है कि कंटेजस डिजीज में मुबतला हो तो सेग्रिगेशन होना चाहिये, और एलाज
होना चाहिये। अगर अच्छा हो जाय और मालिक ले जाना चाहे तो ले जा सकता है।
यह प्रोविजन इसलिये बना है कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब कि डिजीज बिल्कुल
इनक्योरेबुल हो और किसी डाक्टर की ताकत में न हो जो उसे अच्छा करे। आप
सड़कों पर देखते हैं कि कोई कुत्ता कराहता हुआ सिसकता हुआ पड़ा हुआ है। भला आप
उसको देखेंगे कि वह सिसकता हुआ मर जाय और दूसरे जानवरों में भी अपनी
बीमारी फैला दे जहां आपके दिल में जानवरों के लिये इतना रहम है? एक कंटेजस
डिजीज रखने वाला जानवर सड़क पर पड़ा हुआ हो, दूसरे जानवरों को कंटेजन दे और
सड़क पर सिसक-सिसक कर जान दे। क्या आपके रहम दिल को गवारा होगा।

इससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसको मार दें जिसमें दूसरे जानवर को कंटेजन न दें और उसको भी मुसीबत और तकलीफ से बचा सकें। अगर आप जानवरों की भलाई चाहते हैं उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं और उनको तमाम किस्म की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आपको इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि अगर इनक्योरेबुल डिजीज हो तो उस जानवर के लिये भी और दूसरे के लिये भी अच्छा हो कि उसको डिस्ट्राय कर दिया जाय।

अध्यक्ष—आप जो कह रहे हैं कि एनिमल्स डिस्ट्राय होता है तो क्या डिल विथ इट इन सच अदर मैनर" डिस्ट्राय में नहीं आता है ?

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—"डिल विथ इट इन सच अदर मैनर" में आता है, लेकिन जब डिस्ट्राय का लफ्ज नहीं रखते हैं तो उसके अन्दर शक हो सकता है कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है इसलिये इसको डेफैनिट बनाने के लिये यह लफ्ज रखना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष—आपका मतलब है कि शक नहीं रहेगा जब डिस्ट्राय का लफ्ज हो जायगा ? इसको नियम में रख सकते हैं।

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—जब रूल बनाने लगेंगे तो इनके एक्सपर्ट कहेंगे कि बिल में संक्शन नहीं दिया हुआ है डिस्ट्राय करने के लिये। इसलिये रूल नहीं बना सकते हैं।

अध्यक्ष—आपको उज्र क्या है ? "नौट विथ स्टैंडिंग" रहेगा ?

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—जी, रहेगा। जिस तरह से क्लाज १९ है अपनी जगह पर रहना चाहिये।

अध्यक्ष—"नौट विथ स्टैंडिन्ग" से क्या मतलब है ?

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—उसके अन्दर बिलकुल सेंटिमेंट की बात है। क्लाज (३) के अन्दर वे समझते हैं कि गाय, बैल, बछड़ा, बुल का स्लौटर मना किया गया है इसलिये इसको एक्सक्लुड कर दिया जाय। इस तरह से वे चाहते हैं कि सब जानवर यानी कुत्ता, घोड़ा, गदहा सब की जान बचाना चाहिये।

अध्यक्ष—आप क्या चाहते हैं ?

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—हमको इस तरह के सेंटीमेंट से काम नहीं लेना चाहिये अगर कोई जानवर इनक्योरेबुल डिजीजज में मुबतला हो तो उसको डिस्ट्राय कर देना चाहिये। ऐसे ही महात्मा गांधी भी एक मौके पर सिसकती हुई कराहती हुई बीमार गाय को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके और उसको इनजेक्शन करके खत्म कर दिया गया। इसी तरह मैं भी चाहता हूं। इसीलिये मैं संशोधन की मुखाफलत करता हूं।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री गुप्तनाथ सिंह के अमेंडमेंट का विरोध करता हूँ। मेरा ख्याल है कि कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई चारा नहीं रहता है। यद्यपि समाज के कानून के द्वारा ऐसा बंधन है कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं लेकिन मनुष्य की जिन्दगी में ऐसा वक्त आता है कि वह अपनी जिन्दगी रखना मुनासिब नहीं समझता है। कानून और समाज का बंधन ऐसा है। तब भी हम मनुष्य हैं जब हमारे साथ विवेक है, विचार है और इन सब चीजों के बावजूद भी हम ऐसी बात सोचते हैं आत्म हत्या करते हैं तो जानवरों के साथ भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। अगर किसी जानवर को ऐसी बीमारी हो गयी हो जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, कोई दवा-दारू नहीं हो सकती है तो ऐसी हालत में सबसे अच्छी बात यही होगी कि उसको खत्म कर दिया जाय। अगर इस क्लाज को हटा देते हैं तो किसी भी हालत में हो, कितनी भी परेशानी जानवरों को क्यों न हो अगर वेटेरिनरी डाक्टर जानता भी है कि जब तक उसे मारा नहीं जायगा तब तक उसे उस तकलीफ से नहीं बचाया जा सकता है वह उस जानवर को नहीं मार सकेगा; कनटेजस डिजीज की हालत में जब मार देना जरूरी है और वेटेरिनरी डाक्टर सरटीफाइ करेगा कि इस डिजीज को अच्छा नहीं किया जा सकता है और यह डिजीज फैलाने वाला है तो वैसी हालत में मारने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान लीजिये अगर डाक्टर समझता है कि ऐसी अवस्था आ गयी कि कंटेजन को रोकना पड़ेगा और बिना मारे अगर नहीं रोका जा सकता है तब तो मार देना ही अच्छा होगा।

अध्यक्ष—उसको सेग्रिगेट कर दिया जाय। यह कंटेजस डिजीज को रोकेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये कि यह लिखा हुआ है कि यदि डाक्टर को विश्वास हो गया कि अच्छा होने वाला नहीं है तो क्लॉज १० के मुताबिक सेग्रिगेशन करा सकता है। अगर सचमुच जानवर बीमार पड़ गया और बचने वाला नहीं है तो सेग्रिगेशन में छोड़ दिया जायगा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री मुहम्मद ताहिर—सेग्रिगेशन की मानी है कि दवा और खाना भी नहीं दिया जाय।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—संक्रामक रोग को रोकने के लिये जिसमें बीमारी नहीं बढ़ने पाय यह क्लॉज आप रखना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि आप वैसे जानवरों को मार देंगे जिनसे कंटेजन फैलने का डर हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब सेग्रीगेशन में आप रख देंगे और वह जानवर दूसरे जानवरों से नहीं मिलने पायगा तो कंटेजन कैसे फैलेगा और बीमारी का सवाल कहीं आता है। इसलिये मैं कह रहा हूँ कि इस क्लॉज की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष—क्या क्लाज १० से इसका विरोध है ?

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—विरोध नहीं होता है बल्कि इसका पूरा मतलब हो जाता है। इसलिये इस क्लाज़ की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष—हां, मैं भी देखता हूँ कि इस तरह की बात है और कुछ इनकंसिसटेंसी है।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० में है कि वेटेरिनरी अफसर यदि जरूरत समझेगा, तो वह आर्डर देगा उस जानवर को आइसोलेसन और सेग्रीगेशन की जगह में हटा देने के लिये वह आज्ञा देगा। इसका मानी यह है कि उसकी दवा की जायगी। वह अच्छा होगा या नहीं होगा तो अपनी मौत मर जायगा, लेकिन इस क्लाज के रखने से ऐसे जानवर को मार देना होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि इस बिल का जो असल आशय है वह ऐसा करने ही से पूरा हो जाता है तो इस क्लाज की कोई जरूरत नहीं है और यह बेकार हो जाता है।

श्री केशव प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० जो है उस पर पहले गौर से सोचना चाहिये कि उसके सब-सेक्शन (१), (२) तथा (३) में सेग्रीगेशन का इन्तजाम किया गया है और कंटेजन से प्रोटेक्शन का इंतजाम है जिससे कंटेजस डिजीज दूसरे मवेशियों में नहीं फैले। इसके बाद आप सेक्शन १६ को देखें कि इसमें ऐसे जानवरों के डिस्ट्राय करने की बात आ गई है। डिस्ट्राय करने की बात जो अकिल साहब ने कही कि ज्यादा बीमार हो जायगा तो डिस्ट्राय किया जायगा ऐसा प्रोविजन नहीं है।

श्री सैयद मुहम्मद अकिल—मैंने यह नहीं कहा है। हमने तो कहा है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि डिजीज इनक्योरेबुल हो जाय।

श्री केशव प्रसाद—इसका मतलब यह हुआ कि डाक्टर इन्तजार करेगा और देखेगा कि इनक्योरेबुल है या नहीं और रोग का जब पता लग जायगा तो वह समझेगा कि इसे डिस्ट्राय कर देना चाहिये। सेक्शन १० में जो बात है वही सेक्शन १६ का भी मानी होता है। सेक्शन १० में यह है कि डाक्टर को सर्टिफाई कर देना है। लेकिन हमारा ख्याल यह है कि यदि क्लॉज १६ रह जाता है तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स का परपस सर्व नहीं होता है इसलिये कि डाक्टर बहुत आसानी से डिस्ट्रक्शन की बात सोचने लगेंगे। मेरे ख्याल में उन्हें सर्टिफिकेट दे देना ज्यादा आसान होगा, बनिस्पत इसके कि वह इतना जहमत करें कि सेग्रीगेशन में रखें और तरह-तरह की व्यवस्था करें। इसलिये यह सेक्शन उस सेक्शन के खिलाफ पड़ता है और इसके रहने से साधारण तौर पर गवर्नमेंट के सामने डिस्ट्रक्शन की बात रह जायगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि जानवरों को बचाने की जब आप बात सोचते हैं और डिस्ट्रक्शन का प्रोविजन सामने रखकर चलते हैं तो डिस्ट्रक्शन ही आगे चला जायगा और प्रीजर्वेशन पीछे चला जायगा जो इस बिल के विरुद्ध होगा। इसके रहने से रास्ता निकल जायगा इनक्योरेबुल कहकर डिस्ट्राय करने का।

श्री सुखलाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह ख्याल है कि इस क्लॉज को हटा देनी चाहिये। मैं भी एक वैद्य हूँ और मैंने आदमियों की और जानवरों की चिकित्सा

की है और कई केस ऐसा देखा है और मेरा दावा भी है कि जिसको डाक्टर इनक्योरेबुल कहते थे उनमें से कम से कम ५० प्रतिशत रोगियों की बीमारियां हमारे हाथ से अच्छी हुई हैं, जानवरों की भी। इसलिये मैं कहूंगा कि इस क्लॉज को रखकर समूचे बिल के परपस को खत्म कर देना ठीक नहीं है। हमारे यहां जो मवेशी डाक्टर हैं उन्हें लोग घोड़ा डाक्टर कहा करते हैं और वास्तव में खुशकिस्मती या बदकिस्मती से जो डाक्टर हजारीबाग में थे वे घोड़ा डाक्टर ही थे। उनके पास कोई आदमी जानवर लेकर जाय तो वह परेशान हो जाते थे और उनके लिये यह कह देना आसान था कि तुम जानवर को ले जाओ, इसकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। सिविल सर्जन सभी मवेशियों के बारे में कह देता है कि नहीं बचेगा, लेकिन मैंने खुद बहुत से मवेशियों को अच्छा किया है। मेरा ख्याल है कि डाक्टर केशव अच्छे और नामी व्यक्ति थे। जानवर और आदमी की दवा एक ही है, सिर्फ डोज का फर्क है।

मैं यह कह रहा था कि डाक्टरों के लिये यह कहना आसान है कि बीमारी यह अच्छी नहीं होगी। मेरी अपनी गाय बीमार थी और मैंने हजारीबाग के डाक्टर से कहा कि आप चलकर मेरी गाय देख लें। उन्होंने सोचा कि एम० एल० ए० से पैसा लेना आसान नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं फीस दूंगा। इतने पर भी वे नहीं आये और मेरी १५०-२०० रुपये की गाय मर गयी। मुझे इतना ही कहना है और मैं चाहता हूँ कि इस दफा को सरकार उठा ले।

श्री दीपनारायण सिंह (मंत्री)—महोदय, १६ क्लॉज बड़ा सरल और सीधा है। इसका

उद्देश्य भी बहुत सरल है। बीमारी के संबंध में भी कहा गया है कि नियम के मुताबिक अमुक-अमुक बीमारी को इस क्लाज के लिये माना जायगा। मैं सदस्यों से यह कहना चाहता हूँ कि पशु-पालन का बिल हमारे सामने है और हमलोग इस पर विचार कर रहे हैं तो सभी दृष्टि से हमलोगों को काम करना चाहिये। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है और उनका जिक्र इस दफा में कर देने से ही काम नहीं चलेगा या डाक्टर के कहने से ही नहीं मान लिया जायेगा कि अमुक-अमुक बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि सरकार इस पर सोचेगी और नियमों के द्वारा यह बतायेगी कि कौन-कौन बीमारी का इलाज नहीं है। लोगों को यह भी अनुभव होगा कि कभी-कभी जानवर ऐसे हो जाते हैं जिनसे सारा गांव परेशान हो जाता है। हाल में ही सारन से मुझे खबर आई थी कि वहां ३-४ गायें पागल हो गयी थीं और वे दूसरी गायों को काटती थीं जिससे दूसरी गायें भी पागल हो जाती थीं। मेरी एक अपनी गाय भी पागल हो गई थी उसे इस गांव से उस गांव भगाना पड़ा। ऐसी घटना कभी-कभी होती है। हम पशुपालन के लिये बिल बनाने जा रहे हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि इस तरह के क्लाज को बिल में रखें। डिस्ट्राय शब्द का मतलब मारना भी है और किल करना भी। ऐसे जानवरों को मारने के बाद उनकी लाश को जला देना भी जरूरी है ताकि बीमारी न फैल सके। सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में मरे जानवरों का मांस खाया जाता है लेकिन इससे बीमारी फैलती है। क्लॉज ६ के मुताबिक हम डिस्ट्राय करते हैं तो हमें पूरी तरह डिस्ट्राय करना है, हड्डी, चमड़े, मांस सबको जला देना है ताकि मनुष्यों पर भी इसका असर न पड़े। "और डील विथ इट इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड"। अदर शब्द का मतलब है डिस्ट्राय ही नहीं करना बल्कि दूसरे ढंग से उसके साथ व्यवहार करना। इसमें ९, १० क्लाज का विरोध नहीं है और न क्लाज ३ का ही विरोध है। क्लाज ३ के मुताबिक गो-हत्या को रोकना

चाहते हैं। यहां हम "नौटविथस्टैंडिंग" नहीं लिखेंगे तो हम क्लाज को यहां नहीं रख सकते हैं और पास करना भी नामुनासिब होगा। इसलिये मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस क्लॉज को इसी शक्ल में पास कर दें। इस बिल के पिछे हमारी यह भावना है कि पशुपालन का काम आगे बढ़े। मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि वे भविष्य पर भरोसा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूँ कि माननीय सदस्य इस क्लाज को पास कर देंगे।

अध्यक्ष—श्री जगलाल चौधरी और श्री शत्रुघ्न बेसरा गैरहाजिर हैं। इसलिये उनका संशोधन मुव नहीं होगा।

श्री केशव प्रसाद—मेरा एक प्वायंट ऑफ आर्डर है। सेक्शन ३ पास नहीं हुआ है इसलिये सेक्शन ३ से जो क्लाज संबंधित हैं, उनको पास करना प्रिमैच्योर होगा।

अध्यक्ष—मैं आपके प्वायंट ऑफ आर्डर को मान लेता हूँ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड २०, २१, २२ और २३ प्रवर समिति द्वारा यथा दुबारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २०, २१, २२ और २३ इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है —

कि खंड २४ प्रवर समिति द्वारा यथा दुबारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है—

कि खंड २५, २६, २७, २८, और २९ प्रवर समिति दुवारा यथा दुबारा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २५, २६, २७, २८ और २९ इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—खंड ३०।

Shri LAKSHMI NARAIN SINGH : Sir, I beg to move :

That the proviso to sub-clause (1) of clause 30 be *omitted*.

अध्यक्ष महोदय, अभी शास्त्री जी का वह संशोधन अस्वीकृत हो गया है जिसका मतलब था कि श्राद्ध के समय जो सांढ़ का उत्सर्ग होता है वह उसमें जोड़ा जाय। यह सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध में सांढ़ को दाग कर जो उत्सर्ग किया जाता है उससे श्राद्ध करनेवाले व्यक्ति की भावना यह है कि उससे उनकी मृतात्मा को शांति मिलती है। लेकिन सरकार ने जो प्रतिबन्ध यहां रख दिया है उससे यह श्राद्धकर्म करने में लोगों को दिक्कत पैदा होगी। यदि यह प्रतिबन्ध स्वीकृत हुआ तो लोग

श्राद्ध के काम छोड़कर सरकार का हुक्म लेते फिरेंगे और अपना पिंड दान की क्रिया शांति से नहीं कर पायेंगे । यह प्रतिबन्ध ओरिजिनल बिल में नहीं था । इसको प्रवर समिति ने जोड़ दिया है । इसलिये मेरा कहना है कि लोगों को इससे व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ेगी और सांढ़ दाग कर जो वे अपनी मृतात्मा को शांति देना चाहते हैं वे नहीं कर पायेंगे । इसलिये इस प्रतिबन्ध को हटा देना चाहिये । इससे किसानों को दिक्कत पैदा होगी और वे झगड़ा-फसाद में पड़ जायंगे । सरकार कानून बनाती है लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिये, लेकिन इससे दिक्कत बढ़ जायगी । सरकार कानून बनाती है कैट्ल के इम्प्रूवमेंट के लिये, लेकिन इससे हिन्दू भाइयों में जो श्राद्ध का महत्व है वह खत्म हो जायगा ।

दूसरी बात है कि हर गांव में सांढ़ होना चाहिये कि जो भावना अभी लोगों में है वह पूरी नहीं हो पायगी । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे और मेरे छोटे से संशोधन को मान ले ।

सभा मंगलवार, तिथि ४ अक्तूबर, १९५५ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई ।

पटना :
तिथि ३ अक्तूबर, १९५५ ।

रघुनाथ प्रसाद, सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

वि० स०मु० (एल०ए०) ३११—मोनो—८७१+२५—२-४-१९५६—वे०ना०सिंह तथा अन्य